वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 13

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	1100.49	211.39	1311.88	1594.25	245.02	1839.27	1695.84	238.20	1934.04	2261.89	351.69	2613.58
	पूंजी	***9.00***	...	*9.00*	*105.75*	...	*105.75*	*4.16*	...	*4.16*	*2.61*	...	*2.61*
	जोड़	**1109.49**	**211.39**	**1320.88**	**1700.00**	**245.02**	**1945.02**	**1700.00**	**238.20**	**1938.20**	**2264.50**	**351.69**	**2616.19**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	43.67	43.67	...	49.89	49.89	...	53.43	53.43	...	55.39	55.39
उद्योग													
2. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	2852	...	10.78	10.78	...	23.05	23.05	...	23.05	23.05	...	14.95	14.95
3. एशियाई उत्पादकता संगठन	2852	...	7.30	7.30	...	7.70	7.70	...	7.70	7.70	...	7.70	7.70
4. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन	3475	...	0.52	0.52	...	0.65	0.65	...	0.63	0.63	...	0.65	0.65
5. स्वायत्तशासी संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	2852	75.20	...	75.20	105.00	...	105.00	90.00	...	90.00	61.00	...	61.00
6. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन के लिए योजना	2852	0.03	...	0.03	10.00	...	10.00	0.69	...	0.69	3.35	...	3.35
जोड़-उद्योग		**75.23**	**18.60**	**93.83**	**115.00**	**31.40**	**146.40**	**90.69**	**31.38**	**122.07**	**64.35**	**23.30**	**87.65**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं													
7. पेट्रोलियम एवं विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन	2070	1.99	27.65	29.64	3.00	30.22	33.22	3.00	30.08	33.08	4.00	32.02	36.02
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं													
8. पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक	3475	...	38.53	38.53	...	41.53	41.53	...	41.63	41.63	...	44.08	44.08
9. भौगोलिक संकेतन रजिस्ट्री	3475	...	0.77	0.77	...	0.80	0.80	...	0.84	0.84	...	0.90	0.90
10. बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण	3475	25.86	...	25.86	36.65	...	36.65	36.65	...	36.65	45.25	...	45.25
	4059	9.00	...	9.00	2.85	...	2.85	2.85	...	2.85	1.60	...	1.60
	जोड़	*34.86*	...	*34.86*	*39.50*	...	*39.50*	*39.50*	...	*39.50*	*46.85*	...	*46.85*
11. राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति प्रबंधन संस्थान	3475	1.00	0.33	1.33	3.25	0.50	3.75	3.25	0.45	3.70	1.50	0.53	2.03
	4059	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*1.00*	*0.33*	*1.33*	*3.25*	*0.50*	*3.75*	*3.25*	*0.45*	*3.70*	*1.50*	*0.53*	*2.03*
12. आर्थिक सलाहकार	3475	2.15	4.51	6.66	4.50	5.54	10.04	4.50	6.36	10.86	4.00	6.11	10.11
13. बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी)	3475	0.07	3.01	3.08	0.10	5.57	5.67	0.10	5.23	5.33	1.00	5.59	6.59
	4059	...	...	...	3.90	...	3.90	1.31	...	1.31	1.00	...	1.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	जोड़	*0.07*	*3.01*	*3.08*	*4.00*	*5.57*	*9.57*	*1.41*	*5.23*	*6.64*	*2.00*	*5.59*	*7.59*
जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		**38.08**	**47.15**	**85.23**	**51.25**	**53.94**	**105.19**	**48.66**	**54.51**	**103.17**	**54.35**	**57.21**	**111.56**
14. टैरिफ आयोग	2852	...	6.68	6.68	...	8.05	8.05	...	7.55	7.55	...	8.19	8.19
15. नमक आयुक्त	2852	0.01	27.18	27.19	0.30	30.75	31.05	0.30	29.32	29.62	0.30	31.16	31.46
16. केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	2852	...	7.66	7.66	...	8.70	8.70	...	8.70	8.70	...	10.00	10.00
17. लुग्दी एवं कागज उद्योग विकास परिषद	2852	...	6.84	6.84	...	6.85	6.85	...	6.85	6.85	...	7.00	7.00
18. सीमेंट उद्योग विकास परिषद	2852	...	2.00	2.00	...	2.20	2.20	...	2.20	2.20	...	2.35	2.35
19. भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम	2852	150.01	...	150.01	200.00	...	200.00	270.00	...	270.00	150.00	...	150.00
20. अन्य योजनाएं	2852	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
21. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	2852	...	12.25	12.25	...	9.50	9.50	...	0.55	0.55	...	9.50	9.50
22. पिछड़े क्षेत्रों का विकास													
22.01 औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी	2885	220.00	...	220.00	25.00	...	25.00	49.50	...	49.50	5.00	...	5.00
22.02 जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों का पैकेज	2885	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	25.00	...	25.00
22.03 पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2007	2885	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22.04 केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी	2885	17.88	...	17.88	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
22.05 पूँजी निवेश सब्सिडी	2885	131.65	...	131.65	0.01	...	0.01	35.01	...	35.01	0.01	...	0.01
22.06 व्यापक बीमा योजना	2885	0.46	...	0.46	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़- पिछड़े क्षेत्रों का विकास		*469.99*	*...*	*469.99*	*125.03*	*...*	*125.03*	*184.53*	*...*	*184.53*	*30.03*	*...*	*30.03*
23. औद्योगिक आधारढांचा उन्नयन स्कीम	2852	71.69	...	71.69	115.00	...	115.00	105.00	...	105.00	166.00	...	166.00
24. राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद	2852	...	9.10	9.10	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	12.20	12.20
25. बॉयलर सर्वेक्षण	2852	...	0.21	0.21	...	0.25	0.25	...	0.21	0.21	...	0.25	0.25
26. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद	2852	...	2.40	2.40	...	3.26	3.26	0.50	3.41	3.91	...	3.11	3.11
27. निवेश प्रोत्साहन योजना	2852	11.75	...	11.75	4.50	...	4.50	78.35	...	78.35	310.00	...	310.00
	3601	7.39	...	7.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	1.72	...	1.72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*20.86*	*...*	*20.86*	*4.50*	*...*	*4.50*	*78.35*	*...*	*78.35*	*310.00*	*...*	*310.00*
28. ई-बिज परियोजना	2852	...	...	...	13.95	...	13.95	6.25	...	6.25	11.00	...	11.00
29. दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना कार्यान्वयन न्यास													
29.01 दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना कार्यान्वयन न्यास को अनुदान	2875	303.80	...	303.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2885	...	...	...	643.00	...	643.00	643.00	...	643.00	1199.99	...	1199.99

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़		*303.80*	*...*	*303.80*	*643.00*	*...*	*643.00*	*643.00*	*...*	*643.00*	*1199.99*	*...*	*1199.99*
29.02 प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केन्द्र, नई दिल्ली	4059	...	...	...	50.00	...	50.00	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना कार्यान्वयन न्यास		*303.80*	*...*	*303.80*	*693.00*	*...*	*693.00*	*643.00*	*...*	*643.00*	*1200.00*	*...*	*1200.00*
30. राष्ट्रीय उद्योग कोरिडर विकास प्राधिकरण	2885	...	...	...	100.00	...	100.00	7.60	...	7.60	45.00	...	45.00
31. अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर को अनुदान	2885	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
32. सरकारी उद्यमों में निवेश													
32.01 अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा	4875	...	...	...	49.00	...	49.00	...	...	...	...	...	...
33. निवेश सब्सिडी (पुराना)	2885	0.03	...	0.03	...	...	...	0.25	...	0.25	...	...	...
34. आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में औद्योगिक इकाईयों को ब्याज सहायता	2885	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	100.00
35. अतिरिक्त भुगतान की वसूलियाँ	2852	-16.39	...	-16.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2885	-5.81	...	-5.81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3475	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*-22.20*	*...*	*-22.20*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
36. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रावधान													
36.01 पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2007	2552	...	...	...	149.97	...	149.97	186.87	...	186.87	149.97	...	149.97
36.02 औद्योगिक यूनिट को परिवहन सब्सिडी	2552	...	...	...	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	55.00	...	55.00
36.03 स्वायत्त संस्थाओं को परियोजना आधारित समर्थन	2552	...	...	...	5.00	...	5.00	...	...	...	21.50	...	21.50
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रावधान		*...*	*...*	*...*	*229.97*	*...*	*229.97*	*261.87*	*...*	*261.87*	*226.47*	*...*	*226.47*
कुल जोड़		***1109.49***	***211.39***	***1320.88***	***1700.00***	***245.02***	***1945.02***	***1700.00***	***238.20***	***1938.20***	***2264.50***	***351.69***	***2616.19***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
30.01 दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम	12875	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30.02 अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा।	12875	...	...	...	49.00	...	49.00	...	...	...	...	...	...
जोड़		**...**	**...**	**...**	**49.00**	**...**	**49.00**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. अन्य उद्योग	12875	607.20	...	607.20	550.75	...	550.75	554.09	...	554.09	705.66	...	705.66
2. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	464.21	...	464.21	868.03	...	868.03	835.38	...	835.38	1278.02	...	1278.02
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	38.08	...	38.08	51.25	...	51.25	48.66	...	48.66	54.35	...	54.35
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	229.97	...	229.97	261.87	...	261.87	226.47	...	226.47
जोड़		**1109.49**	**...**	**1109.49**	**1700.00**	**...**	**1700.00**	**1700.00**	**...**	**1700.00**	**2264.50**	**...**	**2264.50**

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं:** इसमें औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद:** इसमें इस संगठन, जिसकी स्थापना उत्पादकता के प्रति जागरूकता पैदा करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, उत्पादकता सर्वेक्षण, व्यावहारिक अनुसंधान आदि के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादकता सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी, के लिए अनुदानों की व्यवस्था की गई है।

3. **एशियाई उत्पादकता संगठन:** इसमें एशियाई उत्पादकता संगठन में भारत की सदस्यता के लिए अंशदान के लिए व्यवस्था की गई है।

4. यह प्रावधान डब्ल्यूआईपीओ को भारत की सदस्यता के अंशदान के लिए है।

5. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता:** इसमें स्वायत्तशासी संस्थाओं यानी भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय डिजायन संस्थान, केंद्रीय लुग्दी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन सामग्री परिषद, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबड़ विनिर्माण अनुसंधान एसोसिएशन, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धी परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को परियोजना आधारित सहायता देने का प्रावधान है।

6. **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कार्यान्वयन योजना:** इस योजना में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित और मंत्रीमंडल द्वारा 4.11.2011 को अधिसूचित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड) की स्थापना नीति का महत्वपूर्ण साधन है। इस योजना के तहत प्रस्तावित निधि, एनआईएमजेड की मास्टर प्लानिंग, एनआईएमजेड से विदेशी भौतिक अवसंरचना जुड़ाव, उत्पादकता, गुणवत्ता (परीक्षण सुविधा और डिजाइन – पूंजी लागत की पूर्ति हेतु) की सांस्थानिक अवसंरचना; हरित भवनों को प्रोत्साहन; उचित प्रौद्योगिकीयों की अधिप्राप्ति के लिए स्थापित की जाने वाली प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास निधि; पेटेंट पूल सृजन; एनआईएमजेड में अति लघु, लघु उद्यमों को आवश्यक पर्यावरण अंकेक्षण, जल अंकेक्षण और गंदा पानी प्रसंस्करण आदि हेतु सहायता आदि की लागत सहित व्यय की पूर्ति हेतु है।

7. **पैट्रोलियम एवं विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन:** इसमें संगठन के स्थापना व्यय की व्यवस्था की गई है जो भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम 1934, तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का प्रशासन करता है। यह संस्था सभी प्राधिकरणों को इन अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर परामर्श देती है और पुलिस, हवाई अड्डा सुरक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, आदि को विस्फोटकों का पता लगाने के विषय में गहन प्रशिक्षण देती है।

8. **पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महा-नियंत्रक (सीजीपीडीटीएम):** यह कार्यालय औद्योगिक संपत्ति अधिकार से संबंधित कानून नामतः पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 आदि को प्रशासित करता है।

9. **भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री:** यह कार्यालय भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 (पंजीकरण और सुरक्षा) संबंधी विधि प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

10. **बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण::** यह प्रावधान पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, डिजाइन कार्यालय और भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के आधुनिकीकरण को कवर करने वाली सम्मिश्र योजना के लिए है। इसमें पेटेंट कार्यालयों में जांच चरण पर निर्भरता कम करने के लिए अनुबंध पेटेंट जांचकर्ताओं को शामिल करने का प्रावधान भी शामिल है।

11. **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान:** इसमें बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शिक्षा अनुसंधान की व्यवस्था की गई है।

12. **आर्थिक सलाहकार:** यह कार्यालय उद्योग और विनिर्माण पर विशेष जोर देने के साथ ही आर्थिक नीतियों और प्रक्रियाओं के सभी मामलों (जो व्यापार और राजवित्तीय मामलें तक ही सीमित नहीं है)पर परामर्श देता है और थोक मूल्य सूचकांक और कोर उद्योग उत्पादन सूचकांक प्रकाशित करता है।इसके अलावा, इसके अधिदेश में नवीन/प्रायोगिक सूचकांकों जैसे व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक सहित अनुसंधान और प्रकाशन शामिल हैं।

13. **बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.):** इसकी स्थापना रजिस्ट्रार, ट्रेड मार्क भौगोलिक संकेतक के निर्णय के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए की गई है। आई.पी.ए.बी. उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों का स्थान लेता है। बजट व्यवस्था वेतन तथा बोर्ड के स्थापना संबंधी अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए है।

14. **प्रशुल्क आयोग:** यह भारत सरकार द्वारा 2 सितम्बर, 1997 से स्थापित आयोग की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

15. **नमक आयुक्त:** यह संगठन केंद्रीय नमक उपकर अधिनियम 1953 और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों का प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी है। यह नमक और आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन तथा युक्ति संगत वितरण को भी विनियमित करता है। यह नियमित रूप से नमक की उपलब्धता और मूल्य को भी मानीटर करता है। बजट में संगठन के स्थापना प्रभारों और विकास/कल्याण कार्यों के संबंध में व्यवस्था की गई है।

16. **केंद्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान::** केंद्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलूरु धातुकर्म उद्योग सहित विनिर्माण के लिए एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। यह विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों के लिए विशेष उपस्करों मशीनों और विशेषीकृत उन्नत परीक्षण प्रणालियों के डिजाइन और विकास के सम्पूर्ण समाधान की व्यवस्था करता है।

17. **लुगदी और कागज उद्योग विकास परिषद:** इसके अन्तर्गत लुगदी और कागज क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान और कागज लुगदी एवं सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद को दिए गए अनुदान शामिल हैं।

18. **सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद:** इसमें सीमेंट उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु व्यवस्था की गई है।

19. **भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम:** भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के मुख्यत उद्देश्य चमड़ा इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए कच्चा माल सामग्री के आधार को बढ़ाना; पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करना, मानव संसाधन का विकास करना, परम्परागत चमड़ा कारीगरों की सहायता करना, बुनियादी ढांचा संबंधी बाधाओं का समाधान करना तथा संस्थागत सुविधाओं की स्थासपना करना है।

20. **अन्य स्कीम:** इसमें अशोक कागज मिल, असम एकक के लिए सहायता का प्रावधान है।

21. **संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन::** इसमें संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन को अंशदान देने के लिये प्रावधान किया गया है।

22.01. **औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी:** इसमें परिवहन सब्सिडी योजना, 1971 और 'ढुलाई सब्सिडी योजना, 2013" नामक संशोधित योजना के तहत पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी देने के लिए प्रावधान है। इसके अलावा इसमें 'ढुलाई सब्सिडी योजना, 2013" नामक संशोधित योजना भी शामिल है। इस स्कीम को औद्योगिक इकाई द्वारा खर्च की गई परिवहन लागत में सब्सिडी देने के लिए पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगीकरण विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। ताकि वे सदृश उद्योगों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें, जो भौगोलिक तौर पर बेहतर क्षेत्रों में स्थित हैं। कच्ची सामग्री के परिवहन के लिए परिवहन लागत के 50 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच सभी पात्र इकाइयों को और उनसे तैयार मालों के परिवहन और विनिर्दिष्ट रेल-शीर्ष को सब्सिडी व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाती है (उत्तर पूर्वी राज्यों,जम्मू कश्मीर और उत्तराखण्ड के लिए यह सब्सिडी 90 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखण्ड व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिलों के लिए, सब्सिडी 75 प्रतिशत है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के भीतर वस्तुओं की आवाजाही के लिए यह सब्सिडी 50 प्रतिशत है।)

22.02. **जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों का पैकेज:** इसमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड, राज्यों के लिए औद्योगिक नीति में निहित विभिन्न स्कीमों के वित्तपोषण की व्यवस्था है।

22.03. **पूर्वोत्तर औद्योगिक पैकेज:** पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश प्रोन्नति नीति(एनईआईआईपीपी) 2007 से पूर्वोत्तर भारत में निवेशकों के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहन मिले हैं। एनईआईआईपीपी 2007 के प्रावधानों में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक वातावरण में तेजी लाने के लिए अपेक्षित प्रोत्साहनों और सहायक वातावरण के प्रावधान हैं। पूर्वोत्तर में कहीं भी स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों, नई के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों के,उनके विस्तार संबंधी प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं। (1)औद्योगिक उत्पाद शुल्क में छूट (2)आय कर में शत प्रतिशत छूट(3)संयंत्रों और मशीनरी पर, निवेश में बिना किसी ऊपरी सीमा सहित पूंजीगत निवेश सब्सिडी (4)परिवहन सब्सिडी स्कीम: राज्य के बाहर से आने वाली कच्ची सामग्री पर 90 प्रतिशत और राज्य के भीतर आने वाली तैयार वस्तुओं पर 50 प्रतिशत(5)कार्यशील पूंजी पर उत्पादन शुरू करने की तारीख से अधिकतम 10 वर्ष की अवधि तक 3 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी (6)100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम वाली व्यापक बीमा प्रतिपूर्ति (7)सेवा क्षेत्र जैसे होटलों,नर्सिंग होम, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि के उपलब्ध प्रोत्साहन पैकेज।

23. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम:** औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना प्रदान कर उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए। चयनित कार्यात्मक क्लस्टरों में अवसंरचना विकास राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

24. **राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद:** इसमें राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद के लिए अनुदानों हेतु प्रावधान किया गया है।

25. **बॉयलर का सर्वेक्षण:** इसमें बॉयलर के सर्वेक्षण के लिए अनुसंधान अध्ययनों हेतु बजट का प्रावधान है।

26. **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद:** एक शीर्ष निकाय के रूप में इस परिषद का गठन ऐसे विनिर्माण क्षेत्रों के विकास को गति देने और बनाए रखने के लिए जिनमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और जो विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय स्तर के उद्योग/क्षेत्र विशिष्ट नीतिगत उपायों की सिफारिश करे। स्थापना संबंधी व्ययों के अलावा, विभिन्न अध्ययनों, मूल्यांकन रिपोर्टों को तैयार करना और परामर्शदाताओं को नियुक्त करने से जुड़े कार्य करने की भी जरूरत है ताकि विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पार्धात्मकता बढ़ाई जा सके।

27. **निवेश प्रोत्साहन योजना:** विभाग ने निवेश गंतव्य और विनिर्माण केन्द्र के रूप में परियोजना भारत के वैश्विक प्रोन्नति अभियान,मेक इन इंडिया की शुरूआत की है।इस पहल का उद्देश्य के रूप में निवेश गंतव्य को बढ़ावा देना और भारत

को भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर इसे विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करना है क्योंकि देश में श्रमशक्ति, अवसंरचना, कच्ची सामग्री और अन्य सुविधाओं की भारी क्षमता है। मेक इन इंडिया पहल में हाइप को बनाए रखने के लिए, डीआईपीपी डिजीटल मीडिया,टेलीविजन,और अमेरिका,यूरोप,एशिया पेसिफिक, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के माध्य से प्रचार उपलब कर रहा है। इस पहल को वर्ष, 2005 के दौरान डेवोस,हनोवर मैसी में विश्व आर्थिक फोरम बैठक और अन्य समान आयोजनों में भी ले जाया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों जैसे संयुक्त आयोग की बैठकों, सीएफओ फोरम बैठकों, विदेश में प्रतिनिधिमंडलों द्वारा दौरों, के जरिये देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है।एसिस्ट इनवेस्ट इंडिया, डीआईपीपी-एफआईसीसीआई संयुक्त उपक्रम का उद्देश्य देशमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और आसान बनाना है।

28. **ई-बिज परियोजना::** ई-बिज मिशन मोड परियोजना को नेशनल ई-गर्वर्नेन्स आयोजना के तहत 31 मिशन मोड परियोजनाओं के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में एक ही पोर्टल पर उपलब्ध केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के व्यावसायिक और निवेश संबंधी नियामक सेवाओं से संबंधित सभी व्यवसाय और निवेशक मैत्री इको सिस्टम का सृजन करना है। जिससे निवेशकों व व्यावसायिकों के मल्टीपल कार्यालयों में जाने की आवश्यकता अथवा वैबसाईटों की अधिकता से बचा जा सके।

29.01. **दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट:** दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरीडोर परियोजना को दादरी (उ.प्र.) तथा जेएनपीटी (नवी मुंबई) के बीच 1483 किमी. लंबे वेस्ट र्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कारिडोर के साथ-साथ दोनों ओर विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। छ: राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्यं प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली इस परियोजना में स्थांनीय वाणिज्य को सक्रिय करने, निवेश बढ़ाने तथा सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिवेश तथा अत्याधुनिक अवसंरचना से युक्त मजबूत आर्थिक आधार का निर्माण करने की अपेक्षा की गई है। डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वायन निधि एक परिक्रामी निधि होगी और इसकी स्थापना एक न्यास के रूप में की जाएगी। यह निधि/न्यास वित्ती य संस्थाएनों से दीर्घावधिक निधीयन प्राप्त करके तथा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर में और इसके आस-पास के शहरों के विकास में सहायता करके भारत सरकार द्वारा उपलब्धि संसाधनों का लाभ उठाएगा। निकाय के कोर्पस का इस्तेमाल (क) गैर-पीपीपी अवसंरचना के विकासार्थ नोडल/शहरी स्तर की एसपीवी के लिए इक्विटी और/अथवा ऋण मुहैया कराने तथा अन्य/ परियोजना जिन्हें विशिष्ट एसपीवी, नोडल/शहर स्तर की एसपीवी द्वारा स्थापित किया जा सकता है, में निवेश के लिए (ख) अन्य परियोजना विशिष्ट एसपीवी तथा परियोजना विशिष्ट एसपीवी से युक्त क्षेत्रीय धारक कंपनियों के लिए इक्विटी और/अथवा ऋण तथा (ग) परियोजना विकासार्थ डीएमआईसीडीसी के लिए अनुदान मुहैया कराने के लिए किया जाएगा। डीएमआईसी ने अभी तक ऋण/इक्विटी के तौर पर निवेश वाली नौ परियोजनाओं का अनुमोदन किया है।

29.02. **प्रदर्शनी सह अभिसमय केन्द्र:** प्रदर्शनी सह अभिसमय केन्द्र द्वारका दिल्ली में स्थापित किया जाएगा जो देश में वैश्विक प्रदर्शनी और सम्मेलनों के लिए आइकनिक ढ़ाँचा और अभिकेन्द्र के लिए परिकल्पित है।

30. **राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास प्राधिकरण:** भारत सरकार द्वारा पहचाने गए नए औद्योगिक/आर्थिक कॉरीडोर के विकास के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास प्राधिकरण के निर्माण की जुलाई,2014में वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में घोषणा की गई थी। एनआईसीडीए के बन जाने और इसके शुरू होने से देश में औद्योगिक कॉरीडारों की देखरेख होगी।

31. **अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरिडर:** उत्तरी और पूर्वी भारत के घनी आबादी वाले राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री ने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरीडार बनाने का अनुमोदन किया है। एकेआईसी को पूर्वी समर्पित भाडा कॉरीडॉर के आसपास रीढ के रूप में और इस रूट पर मौजूदा राजमार्ग प्रणाली के आसपास सृजित किया जाएगा। एकेआईसी से इलाहाबाद से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे-1 के साथ-साथ विकसित इनलेंड वाटर सिस्टम में भी सुधार होगा। एकेआईसी में सात राज्यों नामत: पंजाब, हरियाणा,उत्तर प्रदेश,उत्तराखण्ड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल कवर होंगे।इसलिए यह कार्य व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए डीएमआईसीडीसी (नोडल एजेंसी) को सौंपा गया है।

34. यह प्रावधान आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थापित किए जाने के लिए औद्योगिक इकाईयों को ब्याज सहायता देने के लिए है जैसा आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में वर्णित है।

36. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2007 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ को परियोजनाओं/योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है।